

अध्याय VI : कोयला मंत्रालय

कोयला खान भविष्य निधि संगठन

6.1 निधियों का प्रबंधन

बीमांकिक सिफारिशों के गैर-कार्यान्वयन के कारण, पेंशन निधि में अत्यधिक कमी, पेंशन निधि लेखे से भविष्य निधि लेखे में निधियों का गलत विपथन, अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि के निवेश के लिए मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन न करने, ब्याज का गलत भुगतान, पेंशन का अतिरिक्त भुगतान, सात वर्षों से अधिक लापता ₹1.71 करोड़ की राशि, कारपोरेट लिक्विड टर्म डिपोजिट स्कीम से चालू खाताओं को न जोड़ने और प्रशासनिक प्रभारों के दरों की समीक्षा न होने के कारण कोल माइन्स भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के वित्तीय हित बुरी तरह प्रभावित हुए।

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ), कोयला मंत्रालय (एमओसी) के अधीन भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन, कोयला उद्योग (सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र) के सभी पात्र कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति अथवा उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, बचत की भावना को बढ़ावा देने हेतु स्थापित किया गया था। यह अधिनियम, कोयला कम्पनियों में कार्यरत लोगों के लिए भविष्य निधि (पीएफ) योजना, पेंशन योजना तथा जमा सम्बद्ध बीमा (डीएलआई) योजना का प्रावधान करने, तथा उन्हें एकमुश्त सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने, मासिक पेंशन/परिवार पेंशन, बीमा कवरेज आदि का प्रावधान करने के लिए लागू किया गया था।

न्यासी बोर्ड (बोर्ड) योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासनिक एजेंसी है तथा उसमें केन्द्रीय/राज्य सरकार, नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त बोर्ड का पदेन सदस्य तथा संगठन का समग्र प्रभारी है। राज्य स्तर पर, योजनाएं, क्षेत्रीय आयुक्त की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों में स्थित 24 क्षेत्रीय अधिकारियों (आरओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। सीएमपीएफओ का मुख्यालय झारखण्ड में धनबाद में स्थित है।

सीएमपीएफओ के वित्तीय क्रियाकलापों की समीक्षा की गई थी कि क्या सीएमपीएफओ ने:

- अपने सदस्यों के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए अपनी निधियों का प्रभावी ढंग से तथा दक्षतापूर्वक संचालन किया था;
- भविष्य निधि के प्रशासन की लागत को चुकाने के लिए कर्मचारियों से प्रशासनिक प्रभारों की वसूली की समीक्षा की थी;

लेखापरीक्षा में 2013-14 से 2015-16 की अवधि शामिल थी। मुख्यालय धनबाद तथा झारखण्ड, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ में स्थित 13 आरओ में अनुरक्षित अभिलेखों की नमूना-जांच की गई थी।

6.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभिन्न सीएमपीएफओ योजनाओं की निधियां प्रभावी रूप से प्रयोग नहीं की गई थी जिसके कारण संगठनात्मक उद्देश्यों की अभीष्ट से कम प्राप्ति हुई जिसने सदस्यों के वित्तीय हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि आन्तरिक लेखापरीक्षा, जो मॉनीटरिंग तथा नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, सीएमपीएफओ के किसी भी आरओ में नियमित रूप से नहीं की गयी थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

6.1.2.1 बीमांकिक सिफारिशों को लागू न करना जिसके कारण पेंशन निधि में अत्यधिक कमी हुई

कोयला खान पेंशन योजना (सीएमपीएस), 1998 के अनुसार, बोर्ड से अपेक्षित है कि वह हर तीसरे वर्ष बीमांकिक की नियुक्ति तथा पेंशन निधि की समीक्षा और मूल्यांकन करे, ताकि योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले अंशदान की दरें अथवा किन्हीं ग्राह्य लाभों का पैमाना अथवा अवधि जिसके लिए उक्त लाभ अनुमत किए जाएं, में यदि आवश्यक हो तो सुधार किए जा सकें।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- 1998 में सीएमपीएस के शुरू होने के बाद, पेंशन निधि का बीमांकिक मूल्यांकन हर तीसरे वर्ष नियमित रूप से नहीं किया गया था। अभी तक, पेंशन निधि का बीमांकिक मूल्यांकन 2001, 2005, 2012 तथा 2013 में किया गया परन्तु सिफारिशें कभी भी लागू नहीं की गईं। अक्टूबर 2015 में नियुक्त बीमांकिक से यह अपेक्षित था कि वह जनवरी 2016 तक मूल्यांकन रिपोर्ट (01 अप्रैल 2015 को) प्रस्तुत करे। तथापि, बीमांकिक ने प्रबंधन की पुष्टि के लिए ड्राफ्ट रिपोर्ट अक्टूबर 2016 में प्रस्तुत की, जिसे अभी भी अन्तिम रूप दिया जाना था (नवम्बर 2016)।
- 31 मार्च 2012 को बीमांकिक की मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच के लिए गठित “अधिकारी ग्रुप समिति” (जिसका प्रतिनिधित्व कोयला मंत्रालय, कोल इण्डिया लिमिटेड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा सीएमपीएफओ द्वारा किया गया था, ने सी एम पी एस 1998 की पुनः मॉडलिंग/पुनः निर्माण तथा मासिक पेंशन की ऊपरी तथा निचली सीमा के कर्मचारी भविष्य निधि योजना के प्रावधानों के अनुरूप नियतन की सिफारिश की थी (अक्टूबर 2012)। समिति ने अंशदान की दर के संशोधन द्वारा पेंशन निधि को बढ़ाने की भी सिफारिश की थी (सितम्बर 2013)। ये सिफारिशें अभी लागू की जानी थी (नवम्बर 2016)।
- पेंशननिधि की नवीनतम उपलब्ध मूल्यांकन रिपोर्ट ने ₹ 41,161.25 करोड़ की कुल देयता से उसकी परिसम्पत्तियों के मूल्य (₹ 14,819.46 करोड़) तथा चालू अंशदान (₹ 6,643.21 करोड़) के समायोजन के पश्चात् 31 मार्च 2013 को ₹ 19,698.58 करोड़ का निवल घाटा उजागर किया। बीमांकिक रिपोर्ट की यह राय थी कि यदि घाटे की यह प्रवृत्ति अगले 16 वर्षों तक और चलती रही तो निधि का शेष समाप्त हो जाएगा तथा जिन्होंने पेंशन निधि के लिए अंशदान दिया है उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इस रिपोर्ट में पेंशन निधि की निरन्तरता के लिए 4.91 प्रतिशत (1998 से प्रभावी) की विद्यमान अंशदान दर से बढ़ाकर

उसे वेतन के 19.46 प्रतिशत करने की मजबूती से सिफारिश की थी। इस सिफारिश पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2016) कि सीएमपीएस 1998 के अन्तर्गत कोई समीक्षा अथवा संशोधन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बोर्ड की सिफारिश के अनुसार ही होनी चाहिए। चूंकि बोर्ड ने बीमांकिक की रिपोर्टों पर कोई सिफारिश नहीं की थी, अतः पेंशन निधि के लिए अंशदान की दर का संशोधन नहीं किया गया था।

इस प्रकार, बीमांकिक की सिफारिशों के अनुसार पेंशन निधि के अंशदान की दर का संशोधन न किए जाने के कारण, 31 मार्च 2013 को ₹ 19,698.58 करोड़ का बढ़ता हुआ घाटा था जिसका विद्यमान तथा भावी पेंशनरों के वित्तीय हितों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि पेंशन निधि में घाटे को पूरा करने के लिए, सीएमपीएफओ को भविष्य निधि लेखा से निधि के अनियमित विपथन का सहारा लेना पड़ा जिसकी चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

6.1.2.2 भविष्य निधि लेखा से पेंशन निधि लेखा को निधि का गलत विपथन

कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948 के अनुसार, भविष्य निधि योजना के प्रावधानों के अनुसार पीएफ में जमा राशि, निधि के सदस्यों अथवा उनके नामितियों अथवा उत्तराधिकारियों अथवा वैध प्रतिनिधियों के क्रेडिट की राशि के भुगतान के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए खर्च अथवा विपथित नहीं की जानी चाहिए।

पीएफ योजना की निधि के उपयोग की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- सीएमपीएफओ ने पेंशन निधि का घाटा पूरा करने के लिए 2007-08 से 2014-15¹ के दौरान पीएफ लेखा से पेंशन निधि को ₹3520.14 करोड़ विपथित किए थे। इसमें से, ₹1737.99 करोड़ की राशि पीएफ लेखा को लौटा दी गई थी (अक्टूबर 2014) जिससे ₹1782.15 करोड़ की बकाया

¹ 2015-16 में निधि का कोई विपथन नहीं था।

देयता शेष रह गई थी जो पीएफ लेखा को अभी लौटाई जानी थी (अगस्त 2016)।

- पीएफ लेखे ने 2007-08 से 2009-10 की अवधि के दौरान विपथित ₹ 613.78 करोड़ पर पेंशन निधि लेखा से कोई ब्याज प्राप्त नहीं किया था, हालांकि सीएमएफपीओ ने उसी अवधि के दौरान अपने सदस्यों को औसतन 8 प्रतिशत की दर पर ब्याज का भुगतान करना पड़ा। बाद में सीएमपीएफओ ने विपथित निधि पर पीएफ लेखा को 6 से 8.75 प्रतिशत की दर पर (2010-11 से 2014-15 तक) ब्याज देना शुरू कर दिया। ब्याज की दर, 2010-11 और 2011-12 के दौरान पीएफ लेखा द्वारा अर्जित 6.92 - 8.55 प्रतिशत की ब्याज दर की तुलना में कम थी। इस प्रकार पीएफ लेखा ने 2007-08 से 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 75.30 करोड़ का कम ब्याज प्राप्त किया।

प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2016) कि पी एफ लेखा से ₹ 1782.15 करोड़ के अधिक आहरण की राशि आने वाले वर्ष में पेंशन लेखा से पूर्णतः समायोजित कर ली जाएगी। ब्याज की कोई हानि नहीं थी क्योंकि पी एफ लेखे से विपथित राशि, पेंशन शीर्ष के अंतर्गत निवेश से ब्याज अर्जित कर रही थी। पेंशन शीर्ष के अन्तर्गत निवेशित राशि भी पी एफ निवेश पर लागू दर का अनुसरण किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विपथित राशि 2007-08 से 2009-10 की अवधि के लिए बिना किसी ब्याज के तथा 2010-11 से 2011-12 की अवधि के लिए ब्याज की कम दर पर पीएफ लेखा को लौटा दी गई थी। इसके अतिरिक्त, पीएफ लेखे से पेंशन निधि लेखे को निधि का विपथन स्वयं ही कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) योजना के प्रावधानों का उल्लंघन था।

6.1.2.3 अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि के निवेश हेतु मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन न करना

वित्त मंत्रालय (एमओएफ), आर्थिक मामले विभाग ने गैर सरकारी भविष्य निधियों, वार्धक्य निधियों तथा उपादान निधियों के सरकारी प्रतिभूतियों (55 प्रतिशत), ऋण प्रतिभूतियों/सावधि जमाओं (40 प्रतिशत), धन बाज़ार साधनों (5 प्रतिशत), कम्पनियों के शेयरों (15 प्रतिशत) के निवेश की सीमा

निर्धारित की थी (अगस्त 2008)। यह भी प्रावधान किया गया था किसी भी समय किसी भी श्रेणी में निवेश निर्धारित सीमा के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया था कि:

- निवेश के निर्धारित ढंग का उल्लंघन करते हुए, सीएमपीएफओ ने लेखापरीक्षाधीन अवधि (2011-16) के लिए स्वयं अपने कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) अंशदान की समस्त राशि भारतीय स्टेट बैंक के लघु अवधि जमाओं में निवेश की जबकि निवेश की कुल राशि के 44 प्रतिशत² की अनुमति थी।
- सीएमपीएफओ ने 2008-09 से 2010-11 के दौरान अपने जीपीएफ अंशदान पर अपने कर्मचारियों को आठ प्रतिशत की दर पर ब्याज का भुगतान किया। तथापि, सीएमपीएफओ ने उसी अवधि के दौरान सावधि जमाओं के माध्यम से कम दरों (5.25 प्रतिशत तथा 7.75 प्रतिशत) पर ब्याज अर्जित किया। अधिक दर पर ब्याज के भुगतान के परिणामस्वरूप पी एफ में कमी तथा 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान ₹1.56 करोड़ की हानि हुई।

लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते समय, प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2016) कि बोर्ड ने नियुक्त पोर्ट फोलियो प्रबंधक के माध्यम से जीपीएफ के अन्तर्गत निधि का निवेश अनुमोदित किया था। भारत सरकार द्वारा जारी निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार जीपीएफ के प्रबंधन हेतु निधि प्रबंधक के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को नियुक्त किया था तथा एलआईसी को निधि का अन्तरण प्रक्रियाधीन था।

6.1.2.4 ब्याज का गलत भुगतान

सीएमपीएफ योजना में, सदस्यों के पी एफ खातों में सीएमपीएफओ बोर्ड के परामर्श से एम ओ सी द्वारा निर्धारित दरों पर उपलब्ध राशि पर ब्याज का प्रावधान है। लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2013-14 के लिए, सीएमपीएफओ बोर्ड

² 40 प्रतिशत की निर्धारित सीमा + 40 प्रतिशत का 10 प्रतिशत = 44 प्रतिशत

ने अपने सदस्यों को 8.75 प्रतिशत की दर पर ब्याज की सिफारिश की (जनवरी 2014)। तथापि, एमओसी ने वर्ष 2013-14 के लिए केवल 8.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज का अनुमोदन सम्प्रेषित किया (अक्टूबर 2015)। सीएमपीएफओ ने अपने कर्मचारियों के पीएफ खातों को 0.25 प्रतिशत अधिक ब्याज (8.75 प्रतिशत -8.50 प्रतिशत) पहले ही क्रेडिट कर दिया था।

तथ्यों को स्वीकार करते समय, प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2016) कि ब्याज, बोर्ड द्वारा अनुशंसित दर पर अन्तिम निपटान से पूर्व खातों को क्रेडिट कर दिया जाता है। पिछली प्रथा के अनुसार, सरकार ने बोर्ड द्वारा अनुशंसित दर की ही घोषणा की थी। तथापि, जब 2013-14 के लिए जैसे ही बोर्ड द्वारा अनुशंसित 8.75 प्रतिशत के ब्याज की दर सरकार द्वारा घटा कर 8.50 प्रतिशत कर दी गई, घटी दर के सीएमपीएफओ को सम्प्रेषित करने पर तत्काल कार्रवाई की गई।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर मान्य नहीं है कि एम ओ सी को बोर्ड की सिफारिश सम्प्रेषित करने में असाधारण विलम्ब (दस महीने से अधिक) हुआ तथा एम ओ सी का अनुमोदन लेने में और विलम्ब (नौ महीने का) हुआ जिसके कारण सदस्यों को ब्याज का अधिक क्रेडिट दिया गया। यद्यपि प्रबंधन ने मंत्रालय के सम्प्रेषण के आधार पर ब्याज की कटौती की कार्रवाई की थी, तथापि 575 सेवानिवृत्त/मृत सदस्यों को किए गए ₹ 0.51 करोड़ की राशि के ब्याज के अधिक भुगतान की वसूली नहीं की जा सकी।

6.1.2.5 पेंशन का अधिक भुगतान

सीएमपीएफओ ने सीएमपीएस के अन्तर्गत पेंशन के वितरण हेतु आईडीबीआई बैंक, मुम्बई के साथ एक करार किया (दिसम्बर 2004)। लेखापरीक्षा ने देखा कि क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद के अधीन गोदावरीखानी के पेंशनरों ने आईडीबीआई बैंक द्वारा पेंशनरों को दोहरे भुगतान के प्रति फरवरी 2006 के महीने में अधिक बकाया राशि प्राप्त की। आईडीबीआई बैंक ने कहा (अप्रैल 2006) कि 10340 पेंशन होल्डरो को ₹ 18.11 करोड़ का उक्त अधिक भुगतान सी एम पी एफ ओ, धनबाद कार्यालय द्वारा आपूर्त डॉटा के आधार पर किया गया था। फरवरी 2016 तक, आईडीबीआई बैंक ₹ 14.19 करोड़ की राशि

की ही वसूली कर सका तथा शेष ₹ 3.92 करोड़ की राशि अभी वसूल की जानी थी (अगस्त 2016)।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2016) कि शेष वसूल न की गई राशि की वसूली के लिए सम्भव उपाय किए गए थे। पेंशन के वितरण हेतु आईडीबीआईबैंक को 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों से बदल दिया गया था।

6.1.2.6 सात वर्षों से अधिक से पता न लगाए जा सके ₹ 1.71 करोड़ के शेष

धनबाद स्थित सीएमपीएफओ मुख्यालय ने अपने दैनिक कार्य चलाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के पास 16 बैंक खाते अनुरक्षित किए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि सीएमपीएफओ ने 2008 में ₹ 1.71 करोड़³ की कमी का पता लगाया और तभी से उपर्युक्त राशि की वसूली नहीं हुई यह मामला लेखापरीक्षा द्वारा कई बार पृथकलेखापरीक्षा रिपोर्टों में उजागर किया गया था परन्तु बैंक द्वारा इस कमी को मिलान करने तथा उसकी वसूली करने के लिए अभी तक (अगस्त 2016) कोई फलदायक कार्रवाई नहीं की गई थी।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2016) कि ये लापता राशियां वर्ष 2008 तथा उससे पहले से संबंधित थीं। राशि का पता लगाने का प्रयास किया गया था परन्तु उसका कोई फायदा नहीं हुआ। यह भी आश्वासन दिया गया था कि सीएमपीएफओ अब राशि का पता लगाने के लिए बैंकर के साथ समन्वय का प्रयास कर रहा था।

उत्तर में मूल मुद्दे का जिक्र नहीं किया गया था कि उक्त कमी का पहले समाधान क्यों नहीं किया गया तथा कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी। इस प्रकार, समुचित वित्तीय नियंत्रण के अभाव के कारण, ₹ 1.71 करोड़ की राशि का सात वर्षों से अधिक तक पता नहीं लगाया जा सका।

³ ₹ 0.95 करोड़ लेखा सं. III (प्रशासनिक लेखा), ₹ 0.73 करोड़ लेखा सं.V (सीएमपीएफओ के कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में तथा ₹ 0.02 करोड़ लेखा सं.VI (सीएमपीएफओ के कर्मचारियों के पेंशन एवं उपदान निधि) में।

6.1.2.7 कारपोरेट लिक्विड सावधि जमा योजना के साथ चालू खातों को न जोड़ना

धनबाद मुख्यालय पर सीएमपीएफओ द्वारा अनुरक्षित सोलह चालू खातों में से, खाता सं.1, निधियों की प्राप्ति और वितरण का मुख्य खाता था। चूंकि चालू खाते में शेष पर कोई ब्याज नहीं मिलता अतः संगठन के लिए यह लाभप्रद था कि वह चालू खातों को, अप्रयुक्त शेष के स्वतः अन्तरण हेतु बैंक की कारपोरेट लिक्विड सावधि जमा (सीएलटीडी) के साथ जोड़े और उन पर ब्याज अर्जित करे।

लेखापरीक्षा ने सीएमपीएफओ, धनबाद के खाता सं.1 में पड़े शेषों की जांच की और देखा कि कोई ब्याज अर्जित किए बिना कि काफी मात्रा में शेष बड़ी अवधियों के लिए अप्रयुक्त पड़े हुए थे। 2014-15 तथा 2015-16 में सात से अधिक दिनों के लिए अप्रयुक्त पड़े हुए शेषों की नमूना जांच से पता चला कि सीएमपीएफओ ₹ 1.66 करोड़ का ब्याज (अक्टूबर 2014 से एसबीआई द्वारा प्रस्तावित सावधि जमाओं पर 7 प्रतिशत की दर पर परिकलित) अर्जित करने का अवसर खो दिया।

लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2016) कि सभी चालू खातों को सीएलटीडी योजना के साथ जोड़ने का कार्य अक्टूबर 2016 तक पूरा कर लिया जाएगा। बाद में सीएमपीएफओ ने कहा (दिसम्बर 2016) कि संगठन के सभी चालू खाते सीएलटीडी में बदल दिए गए थे।

6.1.2.8 प्रशासनिक प्रभारों की दर की समीक्षा न करना

सीएमपीएफओ, निधि के संचालन की लागत को अदा करने के लिए सदस्यों तथा कर्मचारियों द्वारा किए गए भविष्य निधि के अंशदान पर निर्धारित दर पर प्रशासनिक प्रभार एकत्र करता है। इस दर की बोर्ड के परामर्श के केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर समीक्षा की जानी थी। पिछली समीक्षा 1981 में की गई थी जब प्रशासनिक प्रभारों की दर 3 प्रतिशत नियत की गई थी।

लेखापरीक्षा ने सीएमपीएफओ की प्रशासनिक निधि की आय एवं व्यय विवरणियों से देखा कि भविष्य निधि के प्रशासन से संबंधित सभी नियमित व्यय करने के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के अन्त में क्रमशः ₹ 238.37 करोड़, ₹ 357.63 करोड़ तथा ₹ 266.19 करोड़ के सतत अधिशेष थे। यह अधिशेष एमओसी द्वारा जारी अनुदेशों के उल्लंघन में

(जैसा कि सीएजी की 2016 की सिविल रिपोर्ट सं.11 के पैरा 4.1 में बताया गया) 2010-11 से 2014-15 के दौरान सीएमपीएफओ के कर्मचारियों द्वारा उपयोग की गई बिजली के लिए ₹ 2.16 करोड़ के बिजली प्रभारों पर अनियमित व्यय करने तथा 2012-13 से 2014-15 के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों की अधिप्राप्ति हेतु ₹0.88 करोड़ का पूंजीगत व्यय करने के पश्चात् भी उपलब्ध था जो सीएमपीएफ योजना के अनुसार अनुमत नहीं था। उक्त निरन्तर अधिशेषों के बावजूद, सीएमपीएफओ ने विगत 35 वर्षों के दौरान वसूल किए गए प्रशासनिक प्रभारों के दर की समीक्षा नहीं की।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2016) कि सीएमपीएफओ, उन्हें भुगतान-योग्य पेंशन, छुट्टी नकदीकरण तथा उपदान के लाभ के सहित केन्द्रीय सरकार के वेतन ढांचे वाले स्टाफ तथा अधिकारियों के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं के प्रबंधन हेतु एक स्वनिधिगत स्वायत्त संगठन था। नियोक्ता (कोयला कम्पनियां) पर सीएमपीएफओ द्वारा उद्ग्रहीत प्रशासनिक प्रभारों तथा सी एम पी एस 1998 के प्रति केन्द्रीय सरकार से सीएमपीएफओ द्वारा प्राप्त एक-मुश्त अनुदान को ध्यान में रखते हुए, 2012-13 से 2014-15 के दौरान आय पर व्यय के आधिक्य की प्रतिशतता क्रमशः 53.74, 66.08 तथा 63.26 थी। वार्षिक व्यय 2015-16 में ₹ 120 करोड़ और बढ़ने की उम्मीद थी और यह सातवें वेतन आयोग के प्रभाव के कारण और भी बढ़ जाएगा। चूंकि वार्षिक व्यय संग्रहण के 60 प्रतिशत से अधिक था जिसमें उसके कर्मचारियों को भुगतान योग्य पेंशन, छुट्टी नकदीकरण तथा उपादान के प्रति देयता शामिल नहीं थी और सरकार से इस के प्रति कोई निधिप्राप्त नहीं हुई थी और सरकार से इस के प्रति कोई निधि प्राप्त नहीं हुई थी, सीएमपीएफओ ने उपर्युक्त सहित समस्त भावी देयता को पूरा करने के लिए वार्षिक बचतों से एक कार्पस का सृजन किया। सीएमपीएफओ ने पेंशन, छुट्टी नकदीकरण तथा उपादान के लिए बीमांकिक मूल्यांकन करने के लिए एलआईसी को नियुक्त किया तथा प्रारम्भिक मूल्यांकन के अनुसार, उसका मूल्यांकन ₹ 800 – ₹ 900 करोड़ तक जा सकता था।

व्यय पर आय के निरन्तर आधिक्य के मद्देनजर प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है जो 2012-13 से 2014-15 के दौरान 34 प्रतिशत तथा 46 प्रतिशत के बीच रहा। इसके अतिरिक्त, अंशदानों की प्रतिशतता होने के कारण प्रशासनिक प्रभारों

का संग्रहण वेतन के संशोधन के प्रति अंशदान के बढ़ने पर भी बढ़ जाएगा। 31 मार्च 2015 को प्रशासन लेखा, ₹ 124.33 करोड़ की परिसम्पत्तियों के प्रति केवल ₹ 2497.76 करोड़ की चालू देयताएं तथा प्रावधान दर्शाता था (देयताएं परिसम्पत्तियों का पाँच प्रतिशत थी)।

6.1.3 निष्कर्ष

सीएमपीएफओ की स्थापना का अभिप्रेत उद्देश्य सदस्यों के लाभ हेतु निर्दिष्ट निधियों के प्रबंधन में अपर्याप्तताओं के कारण गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ था। सीएमपीएफओ पेंशन निधि को अंशदान के संशोधन हेतु बीमांकिक सिफारिश को लागू करने में विफल रहा जो विगत 17 वर्षों में स्थिर रहा जिसके कारण 31 मार्च 2013 को ₹ 19,699 करोड़ का अत्याधिक घाटा हुआ। पेंशन निधि के घाटे को पूरा करने के लिए सीएमपीएफओ ने सदस्यों के भविष्य निधि खाते से निधियों के अनियमित विपथन का सहारा लिया। सीएमपीएफओ ने अपने कर्मचारियों के पीएफ के निवेश से संबंधित वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया और उनके निवेश पर कम ब्याज अर्जित किया। पेंशन के अधिक भुगतान, ब्याज के अनियमित भुगतान लापता शेष भी देखे गए के जो खराब मॉनीटरिंग एवं नियंत्रण को दर्शाते थे। सीएमपीएफओ ने 35 वर्ष पूर्व नियत कोयला कम्पनियों से एकत्रित प्रशासनिक प्रभारों की दर के औचित्य की समीक्षा नहीं की जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में परिसम्पत्तियां संचित हो गईं।

मामला सितंबर 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।